श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.12 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न विकास समन्वय समिति की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति –

1. श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री विपिन कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
3. श्री अजय कुमार झा, निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर।
4. श्री मिथिलेश साहू, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर।
5. डॉ0 आजाद शहाबुद्दीन, व0उ0समा0, मुंगेर।
6. श्री राजेश कुमार, व0उ0समा0, मुंगेर।
7. श्री महेश कुमार दास, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर।
8. श्री कौशलेन्द्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर।
9. मो0 सलीम अख्तर, अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर।
10. श्रीमती मीना सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
11. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला।

सर्वप्रथम आशुलिपिक के समय पर उपस्थित नहीं होने के कारण कार्यवाही के आशुटंकण में उत्पन्न व्यवधान के निमित्त श्री राजू कुमार, आशुलिपिक को स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात् विकासपरक योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निम्नलिखित निदेश दिये गये :-

1. इंदिरा आवास :-

समीक्षा के दौरान पाया गया कि खड़गपुर प्रखंडान्तर्गत नाकी पंचायत में कई नाम ऐसे हैं जो बी0पी0एल0 सूची की सामान्य श्रेणी में आते हैं परन्तु उनका नाम अनु0 जाति अथवा अनु0जनजाति की श्रेणी में शामिल है। इस निमित्त निदेश दिया गया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वैसे नामों को सामान्य श्रेणी से अविलम्ब हटाते हुये यथा उपयुक्त श्रेणी में उनका नाम शामिल करते हुये प्रतीक्षा सूची को अद्यतन कर लिया जाये।

इंदिरा आवास योजना की फोटोग्राफी की समीक्षा में पाया गया कि जिले के 101 पंचायतों में 44 पंचायतों से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। पंचायतवार विस्तृत समीक्षा में पाया गया कि जमालपुर से 02, बरियारपुर से 07, धरहरा से 06 पंचायतों का फोटोग्राफी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। निष्कर्षतः तारापुर अनुमंडल में इंदिरा आवास योजना के फोटोग्राफी का कार्य संतोषजनक है इसके विपरीत जमालपुर, खड़गपुर एवं टेटियाबंबर की स्थिति अत्यन्त ही खराब है। इस निमित्त अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने अनुश्रवण में आवश्यक कार्रवाई कर प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाये। तदनुसार सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि फाटोग्राफी के पश्चात् पक्के मकान वाले लाभार्थियों का सत्यापन कर उनके विरूद्ध आपत्ति प्रतिवेदन

देंगे कि उक्त लाभार्थी इंदिरा आवास योजना का लाभ लेने लायक नहीं है। तदोपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी वैसे लाभार्थियों के विरूद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी के आपत्ति प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई करेंगे।

दिनांक 02.10.12 को निर्धारित ग्रामसभा के आयोजन को सफल बनाने हेतु पूर्व में दिये गये दिशा–निर्देश के अतिरिक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को निदेश दिया गया कि उक्त तिथि को यथाउपयुक्त जनोपयोगी योजनाओं को शामिल किया जाये। साथ ही यह प्रमाणित किया जाये कि वर्तमान में बी0पी0एल0 सूची में एक भी अनु0जाति/अनु0 जनजाति के लाभार्थी शेष नहीं हैं।

2. सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना :-

समीक्षा के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा ने बताया कि कुल 326 EB में 89 बेचिरागी गॉवों की जांच पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारी से करायी गयी जिसमें 24 गॉवों की जांच किया जा चुका है। चूॅकि वर्तमान समय में यह कार्य समाप्त होना चाहिए था, इससे यह स्पष्ट होता है कि वे अपने कर्त्तव्य का निर्वह्न लापरवाही के साथ कर रहे हैं। इस निमित्त निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र शेष बचे गॉवों की जांच कर जनगणना कार्य निर्धारित समय के अंदर समाप्त करने की कार्रवाई करेंगे।

3. MIS Entry :-

समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ कि खड़गपुर एवं धरहरा प्रखंड में लगभग तीस लाख रू0 से अधिक व्यय की MIS Entry नहीं की गयी है जिसमें असरगंज में 14 लाख, धरहरा में 12 लाख रू0 की प्रविष्टि अभी भी शेष है, अर्थात् दिनांक 31.08.12 का प्रतिवेदन ही यथावत् प्रतीत होता है। अतः निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र व्यय राशि की MIS Entry करायी जाये।

4. MIR :-

बैठक में समीक्षोपरान्त पाया गया कि सदर प्रखंड के 12 पंचायतों में मात्र एक पंचायत में योजना चल रहा है। इसी प्रकार खड़गपुर में नाकी पंचायत, धरहरा में हेमजापुर एवं बाहाचौकी पंचायत में बारिश के कारण योजना का कार्य बंद है तथा बरियारपुर के रतनपुर को छोड़कर किसी भी पंचायत में योजना का संचालन नहीं किया जा रहा है। यह भी पाया गया कि मानव दिवस सृजन के अनुसार योजनाओ की नापी का प्रतिवेदन किसी भी प्रखंड से प्राप्त नही हो रहा है जो चिंताजनक है। इस हेतु निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर को निदेश दिया गया कि विगत 15 दिनों के MIR प्रतिवेदन संकलित कर मन्तव्य अंकित करते हुये अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करें।

5. अन्यान्य :-

- विकास समन्वय समिति की मासिक समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति योजना, आई0सी0डी0एस0 अन्तर्गत योजनाओं की समीक्षा के क्रम में वरीय पदाधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया जाना कि किसी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ससमय मासिक प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता है जिसके कारण अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन संकलित करने में कठिनाई होती है तथा बैठक के दौरान प्रतिवेदन भेज दिये जाने अथवा उपलब्ध करा देंगे, की बात कहा जाना अत्यन्त ही खेदजनक एवं कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है। इस परिस्थिति के दृष्टिगत प्रखंड विकास पदाधिकारी की कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही के कारण उपरोक्त विभागीय योजना की समीक्षा नहीं की जा सकी जो क्षम्य नहीं है। अतः उक्त परिपेक्ष्य में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक के लिए स्थगित रखा जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि यदि भविष्य में इस तरह की प्रवृत्ति किसी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा यथावत् बनायी रखी जाती है तो उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी आगामी बैठकों में योजनवार संकलित प्रतिवेदन अपने साथ लेकर आयेंगे।
- बैठक के दौरान यह पाया जाना अत्यन्त ही खेदजनक है कि कई विभागों के वरीय पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर विभाग द्वारा पृच्छित प्रतिवेदन, अनुपालन एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांगे जाने वाले प्रतिवेदनों के लिए बैठक के दिन कार्यक्रम का एजेन्डा तैयार कर नहीं लाया जाता है जिसके कारण बैठक का बहुमूल्य समय प्रतिवेदनों की मांग एवं संकलन में ही बर्बाद हो जाता है एवं योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा नहीं हो पाती है। कमोबेश इस तरह की परिस्थिति पूर्व सम्पन्न कई बैठकों में देखी गयी है। उक्त परिपेक्ष्य में निदेश दिया जाता है कि आगामी मासिक बैठकों में सभी संबंधित वरीय पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांगे जाने वाले प्रतिवेदनों अथवा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं से अवगत कराने के लिए योजनवार एजेन्डा तैयार कर बैठक में भाग लेंगे ताकि बिना समय बर्बाद किये योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जा सके एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु स्पष्ट निदेश दिये जा सकें। इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किये जाने वाले वरीय

पदाधिकारियों के विरूद्ध कर्त्तव्य में लापरवाही के दृष्टिगत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

➢ सांसद/विधायक/पार्षद योजना की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी 15 दिनों के अन्दर यह प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे कि उनके प्रखंडान्तर्गत किन पंचायत सचिवों को वेतन दिया जा रहा है और किन्हें नहीं। जिन पंचायत सचिवों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, उक्त सभी संबंधित पंचायत सचिवों को प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सूचना उपलब्ध करायेंगे कि उनके वर्तमान प्रखंड में पदस्थापन के उपरान्त यदि उनका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र नहीं आया है और उनके उपर पूर्व पदस्थापन प्रखंड में कुछ राशि बकाया है तो 15 दिनों के अन्दर उक्त बकाया राशि चुकता कर अंतिम वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

तत्पश्चात् धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

29/10/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 214 /विकास, दिनांक 29.10.12

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुंगेर/निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखंडों के नामित वरीय उपसमाहर्त्ता प्रभारी/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/10/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 214 /विकास, दिनांक 29.10.12

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

29/10/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।